

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 15.01.2024

उद्घोषित: 26.02.2024

आप.वि.वा. 3732/2011

अभिषेक वर्मा

..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री मनिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता  
सह श्री दिन्हर ताकियार, सुश्री एरिता  
वत्स, सुश्री सिमरन चौधरी, श्री यश  
सिंह, अधिवक्तागण।

बनाम

प्रवर्तन निर्देशालय

..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री रजत नायर, वि.लो.अभि. सह श्री  
इमोन भट्टाचार्य अधिवक्ता।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री नवीन चावला

निर्णय

1. यह याचिका दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'दं.प्र.सं.')

की धारा 482 के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें निम्नलिखित राहत की प्रार्थना की गई है:

“(क) सीसी.सं. 91/1/2002 में प्रवर्तन बनाम मैसर्स ईएसएम इंडिया लिमिटेड के मामले में विद्वान अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी द्वारा क्रमशः 16.06.2007 और 03.08.2007 को पारित आरोप और आरोप पर

आदेश को इस हद तक अभिखंडित करें कि याचिकाकर्ता मैसर्स ईएसएम इंडिया लिमिटेड का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है।”

2. याचिकाकर्ता विद्वान अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी, नई दिल्ली (इसके बाद 'एसीएमएम' के रूप में संदर्भित) द्वारा **प्रवर्तन बनाम मैसर्स एसएम इंडिया लिमिटेड** वाली सी.सी. सं. 91/1/2002 में पारित दिनांक 16.06.2007 के आदेश से व्यथित है, जो निम्नानुसार है:

“मैं एतद्वारा मानता हूँ कि प्रथम दृष्टया आरोपी सं. 1 एसएम इंडिया लिमिटेड ने आरोपी सं. 2 अभिषेक वर्मा, जो आरोपी सं. 1 कंपनी का अध्यक्ष था, के माध्यम से फेरा की धारा 8 (3), 8(4) और धारा 68 के अंतर्गत कथित उल्लंघन के लिए धारा के उपबंधों का उल्लंघन किया है, जिसके लिए फेरा की धारा 56 के अंतर्गत आरोप गठित करना आवश्यक है।”

3. याचिकाकर्ता दिनांक 03.08.2007 के आक्षेपित आदेश से भी व्यथित है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित आरोप रचे गए हैं:

“मैं, श्री अजय कुमार कुहर, एसीएमएम, नई दिल्ली एतद्वारा आप, मैसर्स एसएम इंडिया लिमिटेड (अब अल्टाविस्टा (इंडिया) लिमिटेड के रूप में परिवर्तित) पर इसके अध्यक्ष अभिषेक वर्मा के माध्यम से और मैसर्स एसएम इंडिया लिमिटेड (अब अल्टाविस्टा (इंडिया) लिमिटेड के रूप में परिवर्तित) पर इसके अध्यक्ष अभिषेक वर्मन के माध्यम से निम्नलिखित आरोप लगाता हूँ:-

वर्ष 1997 में मैसर्स यूरोपियन कैपिटल लिमिटेड, शारजा यूएई से कंप्यूटर सिस्टम आयात करने के विशेष प्रयोजन के लिए 3,40,000/- अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित करके, आप एक अधिकृत डीलर या मुद्रा परिवर्तक के अतिरिक्त एक कंपनी के व्यक्ति हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना अर्जित विदेशी मुद्रा का प्रतिनिधित्व करने वाले मूल्य

के उक्त माल को आयात करने में विफल रहने पर आप, मैसर्स एस्सम इंडिया लिमिटेड ने फेरा 1973 की धारा 8(3) के साथ पठित 8(4) के अंतर्गत अपराध किया है, जो फेरा की धारा 56 के अंतर्गत दंडनीय है, और आप, मैसर्स एस्सम इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष अभिषेक वर्मा ने फेरा, 1973 की धारा 8(3) के साथ पठित 8(4) के अंतर्गत अपराध किया है और फेरा 1973 की धारा 68 के साथ पठित फेरा, 1973 की धारा 56 के अंतर्गत मेरे संज्ञान में दंडनीय अपराध किया है।

मैं एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपराध के लिए आप पर विचारण चलाया जाए।”

(जोर दिया गया)

4. आक्षेपित आदेश और आरोप के लिए याचिकाकर्ता की सीमित चुनौती यह है कि कंपनी, अर्थात् मैसर्स एसएम इंडिया लिमिटेड, परिसमापन में है और इसके लिए एक अनंतिम समापक नियुक्त किया गया है, तो विद्वान एसीएमएम के समक्ष लंबित कार्यवाहियों में केवल अनंतिम समापक ही कंपनी का प्रतिनिधित्व कर सकता है, न कि याचिकाकर्ता।

### याचिकाकर्ता की प्रस्तुतियाँ

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 1993 में, अर्थात् 1997 में हुए कथित लेन-देन से बहुत पहले कंपनी से अपने पद का त्याग कर दिया था।

6. वे प्रस्तुत करते हैं कि, किसी भी स्थिति में, उक्त कंपनी के लिए, कंपनी याचिका सं. 215/1998 में पारित आदेश दिनांक 14.05.1999 द्वारा, एक अनंतिम समापक नियुक्त किया गया है। वे प्रस्तुत करते हैं कि, इसलिए,

याचिकाकर्ता के माध्यम से कंपनी के विरुद्ध आरोप नहीं रचे जा सकते क्योंकि याचिकाकर्ता के पास अब विचारण में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है जैसा कि दं.प्र.सं. की धारा 305 के अंतर्गत आवश्यक है। वे प्रस्तुत करते हैं कि जहाँ तक याचिकाकर्ता के विरुद्ध उस पर व्यक्तिगत तौर पर लगे आरोपों का प्रश्न है, उन्हें स्वीकार किए बिना, याचिकाकर्ता इस स्तर पर इसे चुनौती नहीं देता है और उस पर विचारण का सामना करने के लिए तैयार है।

### प्रत्यर्थी की प्रस्तुतियाँ

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विद्वान एसीएमएम ने दिनांक 16.06.2007 के आदेश में याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार नहीं करने के लिए विस्तृत कारण बताए हैं कि उसने वर्ष 1993 में कंपनी से अपने पद का त्याग कर दिया था या कथित लेन-देन के समय और उसके बाद उक्त कंपनी के मामलों पर उसका नियंत्रण नहीं था। उनका कहना है कि इसलिए, याचिकाकर्ता के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 68 के अंतर्गत आरोप रचा गया है। इसके समर्थन में, वह **शैलेन्द्र स्वरूप बनाम उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय** (2020) 16 एस.सी.सी. 561 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हैं।

8. वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि चूँकि याचिकाकर्ता ने कंपनी का प्रतिनिधित्व किया था और जब कथित लेन-देन हुआ था तब वह इसके मामलों का प्रभारी

था, इसलिए याचिकाकर्ता के माध्यम से उक्त कंपनी के विरुद्ध आरोप सही रचे गए हैं।

### विश्लेषण

9. मैंने पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

10. अधिनियम की धारा 68 निम्नानुसार है:

**“68. कंपनियों द्वारा अपराध।-** (1) जहाँ इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम, निर्देश या आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है, वहाँ उस प्रत्येक व्यक्ति, जो उल्लंघन किए जाने के समय, कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था और उसके प्रति उत्तरदायी था, को उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा:

परंतु इस उपधारा में निहित कोई भी बात ऐसे किसी भी व्यक्ति को दंड के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगी यदि वह साबित करता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ था या उसने इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम किए थे।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के किसी भी उपबंध या उसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम, निर्देश या आदेश का उल्लंघन किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो गया है कि उल्लंघन सहमति या मिलीभगत से हुआ है, या किसी उपेक्षा के कारण हुआ है कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की ओर से, या कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की ओर से किसी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी

उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए---

(i) "कंपनी" से अभिप्रेत है कोई भी निगमित निकाय और इसमें एक फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है; और

(ii) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का अर्थ है एक फर्म का भागीदार।"

(जोर दिया गया)

11. अधिनियम की धारा 68 की उप-धारा (1) को पढ़ने से पता चलेगा कि जहाँ यह आरोप लगाया जाता है कि अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, तो वह प्रत्येक व्यक्ति, जो उल्लंघन किए जाने के समय, कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था और उसके प्रति उत्तरदायी था, उसे अधिनियम के अंतर्गत उल्लंघन/अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा। अधिनियम की धारा 68 की उप-धारा (1) का परंतुक ऐसे व्यक्ति पर यह साबित करने का बोझ डालता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ था या उसने इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम किए थे, ताकि वह कंपनी द्वारा किए गए अपराध के दायित्व और दंड से बच सके।

12. अधिनियम की धारा 68 की उप-धारा (2) में आगे कहा गया है कि जहाँ इस अधिनियम के किसी भी उपबंध या उसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम, निर्देश या आदेश का उल्लंघन किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह

साबित हो गया है कि उल्लंघन सहमति या मिलीभगत से हुआ है, या किसी उपेक्षा के कारण हुआ है कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की ओर से, या कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की ओर से किसी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी 'को भी उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा'।

13. **शैलेंद्र स्वरूप** (पूर्वोक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम की धारा 68 के उपबंध पर विचार करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

*"45. फेरा, 1973 की धारा 68 "कंपनियों द्वारा अपराध" से संबंधित है। धारा 68(1) में प्रावधान है कि:*

*"... उल्लंघन के समय प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था और उसके लिए उत्तरदायी था, उसे उल्लंघन का दोषी माना जाएगा..."*

*धारा 68(1) एक विधिक कल्पना का निर्माण करती है अर्थात् "दोषी माना जाएगा"। विधिक कल्पना धारा में निहित शर्तों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। "उल्लंघन के समय प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था और उसके लिए उत्तरदायी था" शब्दों को कुछ अर्थ और उद्देश्य दिया जाना चाहिए। इस उपबंध को इस अर्थ में नहीं पढ़ा जा सकता है कि जो कोई भी उल्लंघन होने के समय प्रासंगिक समय पर संबंधित कंपनी का निदेशक था, उसे उल्लंघन का दोषी माना जाएगा। यदि विधायिका का इरादा यह था कि सभी निदेशकों को उनकी भूमिका और दायित्वों के बावजूद उल्लंघन का दोषी माना जाएगा, तो धारा को अलग तरीके से लिखा जा सकता था। जब किसी व्यक्ति पर अपराध*

करने के लिए कार्यवाही की जाती है और उसे दंडित किया जाना है, तो धारा 68 के अनुसार आवश्यक अपराध के आवश्यक घटक मौजूद होने चाहिए।

46. हम देख सकते हैं कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141, जिसे वर्ष 1988 में संशोधन द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम में शामिल किया गया था, में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने और अपराध के लिए दंडित करने के लिए वही शर्तें शामिल हैं जो कि फेरा, 1973 की धारा 68 में निहित हैं। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141(1) भी उसी अभिव्यक्ति का उपयोग करती है "अपराध के समय प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था और उसके लिए उत्तरदायी था, उसे अपराध का दोषी माना जाएगा"। फेरा, 1973 की धारा 68 के साथ-साथ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 भी कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों से समान तरीके से निपटती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 पर इस न्यायालय के निर्णयों का अनुपात, फेरा अधिनियम की धारा 68 की व्याख्या करते समय भी स्पष्ट रूप से प्रासंगिक है। इस प्रकार, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि फेरा, 1973 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए किसी कंपनी के निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही के लिए आवश्यक घटक यह होगा कि जिस समय अपराध किया गया था, निदेशक कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी था और कंपनी के प्रति उत्तरदायी था। फेरा, 1973 की धारा 68 के अंतर्गत अपराध के लिए कार्यवाही किए जाने का दायित्व कंपनी के मामलों में व्यक्ति की भूमिका पर निर्भर करता है, न कि केवल पदनाम या स्थिति पर। एस.एम.एस. फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड [एस.एम.एस. फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम नीता भल्ला, (2005) 8 एस.सी.सी. 89: 2005 एस.सी.सी. (आप.) 1975] में इस न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 के परिधि और व्याप्ति को विस्तार से बताते हुए पहले ही निर्णय के पैरा 10 में ऊपर उल्लिखित कर दिया है।

47. यह सत्य है कि कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत किसी भी दंडनीय



अपराध के संबंध में, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142 के अनुसार लिखित रूप में शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। धारा 138 के अंतर्गत अपराध के लिए अनुध्यात शिकायत में आवश्यक रूप से अपराध का गठन करने वाले सभी आरोप शामिल होने चाहिए। फेरा, 1973 में धारा 50 के अंतर्गत जुर्माना अधिरोपित करने के लिए, न्यायनिर्णायक अधिकारी को व्यक्ति को मामले में प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर देने के बाद पूछताछ करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, फेरा, 1973 एक लिखित शिकायत दर्ज करने को अनुध्यात नहीं करता है, लेकिन धारा 51 के अनुसार कार्यवाही में, जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जानी है, उसे उस उल्लंघन के बारे में सूचित किया जाना चाहिए जिसके लिए जुर्माना कार्यवाही प्रारंभ की गई है। धारा 51 में आने वाली अभिव्यक्ति "व्यक्ति को मामले में प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर देने के बाद" स्वयं उल्लंघन के आरोपों के उचित संचार को अनुध्यात करती है और जब तक आरोपों में धारा 68 के अर्थ के भीतर अपराध की पूरी सामग्री शामिल नहीं होती है, तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति को मामले में प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर दिया गया है, जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी है।

48. विद्वान अतिरिक्त महा सॉलिसिटर अपनी प्रस्तुति में सही हैं कि फेरा, 1973 किसी भी शिकायत को अनुध्यात नहीं करता है, लेकिन अधिनियम की योजना यह इंगित करती है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जानी है, उसे आवश्यक आरोपों से अवगत कराया जाना चाहिए, जो उसकी ओर से अपराध हो सकता है। एन. रंगाचारी [एन. रंगाचारी बनाम बीएसएनएल, (2007) 5 एस.सी.सी. 108: (2007) 2 एस.सी.सी. (आप.) 460] मामले में इस न्यायालय ने टिप्पणी की है कि कंपनी के साथ लेन-देन करने वाला व्यावसायिक जगत का एक व्यक्ति यह मानने का हकदार है कि कंपनी के निदेशक कंपनी के मामलों के प्रभारी हैं। व्यावसायिक जगत में किसी व्यक्ति के बारे में लगाया गया अनुमान एक खंडन करने योग्य अनुमान है और जब न्यायनिर्णायक प्राधिकारी फेरा, 1973 के उल्लंघन के लिए जुर्माना अधिरोपित करने के लिए आगे बढ़ता है,

तो धारा 68 के साथ पठित फेरा के अंतर्गत अपराध का गठन करने वाले आवश्यक घटकों के बारे में कार्यवाही करने वाले व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिए ताकि वह मामले में प्रभावी प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो सके।”

14. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस स्तर पर याचिकाकर्ता, उसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 68 को लागू करने पर विवाद नहीं करता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता को उस आरोप पर विचारण का सामना करना होगा जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध अधिनियम की धारा 68 का अवलंब लिया गया है। इसलिए, इस न्यायालय को इस मुद्दे पर स्वयं को निरोध में रखने की आवश्यकता नहीं है।

15. इस न्यायालय के समक्ष एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या याचिकाकर्ता के माध्यम से कंपनी के विरुद्ध आरोप रचा जा सकता है। इस संबंध में, दं.प्र.सं. की धारा 305 प्रासंगिक होगी और इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

*“305. प्रक्रिया, अब निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त है।—(1) इस धारा में "निगम" से कोई निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी है।*

*(2) जहाँ कोई निगम किसी जाँच या विचारण में अभियुक्त व्यक्ति या अभियुक्त व्यक्तियों में से एक है वहाँ वह ऐसी जाँच या विचारण के प्रयोजनार्थ एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति निगम की मुद्रा के अधीन करना आवश्यक नहीं होगा।*

(3) जहाँ निगम का कोई प्रतिनिधि उपस्थित होता है, वहाँ इस संहिता की इस अपेक्षा का, कि कोई बात अभियुक्त की उपस्थिति में की जाएगी या अभियुक्त को पढ़कर सुनाई जाएगी या बताई जाएगी या समझाई जाएगी, इस अपेक्षा के रूप में अर्थ लगाया जाएगा कि वह बात प्रतिनिधि की उपस्थिति में की जाएगी, प्रतिनिधि को पढ़कर सुनाई जाएगी या बताई जाएगी या समझाई जाएगी और किसी ऐसी अपेक्षा का कि अभियुक्त की परीक्षा की जाएगी, इस अपेक्षा के रूप में अर्थ लगाया जाएगा कि प्रतिनिधि की परीक्षा की जाएगी।

(4) जहाँ निगम का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है, वहाँ कोई ऐसी अपेक्षा, जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट है, लागू नहीं होगी।

(5) जहाँ निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा (वह चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो) जो निगम के कार्यकलाप का प्रबंध करता है या प्रबंध करने वाले व्यक्तियों में से एक है, हस्ताक्षर किया गया तात्पर्यित इस भाव का लिखित कथन दायर किया जाता है कि कथन में नामित व्यक्ति को इस धारा के प्रयोजनों के लिए निगम के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, वहाँ न्यायालय, जब तक इसके प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता है, यह उपधारणा करेगा कि ऐसा व्यक्ति इस प्रकार नियुक्त किया गया है।

(6) यदि यह प्रश्न उठता है कि न्यायालय के बमक्ष किसी जाँच या विचारण में निगम के प्रतिनिधि के रूप में हाजिर होने वाला कोई व्यक्ति ऐसा प्रतिनिधि है या नहीं, तो उस प्रश्न का अवधारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा।”

(जोर दिया गया)

16. उपरोक्त को पढ़ने से पता चलेगा कि जहाँ अभियुक्त व्यक्ति एक कंपनी है, वह विचारण के उद्देश्य के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकती है, और जहाँ ऐसा प्रतिनिधि उपस्थित होता है, वहाँ दं.प्र.सं. की इस अपेक्षा का, कि कोई बात अभियुक्त की उपस्थिति में की जाएगी या अभियुक्त को पढ़कर सुनाई

जाएगी या बताई जाएगी या समझाई जाएगी, इस अपेक्षा के रूप में अर्थ लगाया जाएगा कि वह बात प्रतिनिधि की उपस्थिति में की जाएगी, प्रतिनिधि को पढ़कर सुनाई जाएगी या बताई जाएगी या समझाई जाएगी। दं.प्र.सं की धारा 305 की उपधारा (4) में कहा गया है कि जहाँ किसी कंपनी का प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है, वहाँ धारा 305 दं.प्र.सं. की उपधारा (3) में उल्लिखित कोई भी आवश्यकता लागू नहीं होगी।

17. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को विचारण में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। वास्तव में, कंपनी परिसमापन में है और कंपनी के लिए एक अनंतिम समापक पहले से ही नियुक्त है।

18. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 457 के अनुसार (जैसा कि तब लागू थी), केवल अनंतिम समापक या अनंतिम समापक द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही विचारण में कंपनी का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसलिए, याचिकाकर्ता को कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं कहा जा सकता। यह कहना दूसरी बात है कि वह एक अभियुक्त के रूप में अपनी व्यक्तिगत क्षमता में विचारण का सामना करेगा, लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि वह कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में भी विचारण का सामना करेगा।

19. हालाँकि उपरोक्त मुद्दे को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उठाया गया था, जैसा कि दिनांक 08.04.2002, 13.05.2002 और 28.10.2002 के आदेशों में परिलक्षित होता है, विद्वान विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता को

कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हुए मानते हुए कंपनी के विरुद्ध आरोप रचने की कार्यवाही की। इसलिए, इसे संधार्य नहीं रखा जा सकता।

**निष्कर्ष और निर्देश**

20. इसलिए, मेरे विचार में, विद्वान विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता के माध्यम से कंपनी के विरुद्ध आरोप रचने में स्पष्ट रूप से गलती की है। कंपनी के विरुद्ध आरोप कंपनी के लिए नियुक्त अनंतिम समापक के माध्यम से रचे जाने चाहिए। दिनांक 03.08.2007 का आक्षेपित आदेश इस सीमित सीमा तक संशोधित माना जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध उसकी व्यक्तिगत क्षमता में रचे गए आरोपों में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया है।

21. याचिका का निपटान उपरोक्त निबंधनों के साथ किया जाता है।

**न्या. नवीन चावला**

**26 फरवरी 2024/एनएस/आरपी/एएम**

*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

**अस्वीकरण :** देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।